झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

कक्षा-8 की परीक्षा, 2019 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 65/2018

एतद् द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों/जिला शिक्षा अधीक्षकों/संबंधित प्रधानाध्यापकों/छात्र–छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य क्षेत्रान्तर्गत संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों (वैसे गैर सरकारी विद्यालय, जहाँ कक्षा–8 की पढ़ाई होती हो, चाहे वह किसी भी स्तर तक का विद्यालय हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता (प्रस्वीकृति) अथवा स्थापना अनुमति प्राप्त हो। शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु वैसे भी विद्यालय, जो मान्यता (प्रस्वीकृति) हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् गठित झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के प्रावधानों के तहत् प्रस्वीकृति हेतु आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को समर्पित कर चुके हों एवं प्रस्वीकृति प्रक्रियाधीन हो) के कक्षा–8 की बोर्ड परीक्षा आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को अधिकृत किया गया है। यह परीक्षा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक आधारित होगी। उक्त के आयोजन हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालयवार छात्र/छात्राओं की संख्या उपलब्ध हो।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों/जिला शिक्षा अधीक्षकों से अनुरोध है कि निम्न प्रपत्र में अपने जिलान्तर्गत विद्यालयवार कक्षा–8 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या सॉफ्ट कॉपी सहित दिनांक 30.11.2018 तक e-mail (secretary.jac2003@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाय।

प्रपत्र

जिला:...   अनुमण्डल:.................................

क्र. सं.	प्रखण्ड का नाम	विद्यालय का U-DISE CODE	विद्यालय का नाम	छात्र/छात्राओं की संख्या

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (महीप कुमार सिंह)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/गो./5101/17/SECY/611/18,
Dt. 26.11.2018
D.O.P: 27.11.2018

8x11